

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 1885 औस/2009-11(4)एफ०/86

दिनांक: 26 मई, 2009

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन के आदेश संख्या-2485-औस-17/पाकालि/2004-11(17) ए० एस०/2001, दिनांक 04.6.2004 सपठित आदेश संख्या-3138 औस/2006-11(17)ए०एस० / 2006, दिनांक 07.11.2006 के सन्दर्भ में नेत्र रोगों से सम्बन्धित चिकित्सा/उपचार हेतु कारपोरेशन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त सामान्य चिकित्सालयों (जिन्हें नेत्र चिकित्सार्थ एकल विशिष्टता की मान्यता नहीं दी गयी है) में नेत्र रोगों की चिकित्सा/शल्य क्रिया आदि उपलब्ध होने की स्थिति में ऐसे मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में नेत्र रोग का उपचार की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित संलग्न पैकेज दरों अथवा वास्तविक व्यय दोनों में जो कम हो, के अनुसार स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है।
संलग्नक - यथोपरि।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या: 1885-(1) औस/पाकालि/2009-तददिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

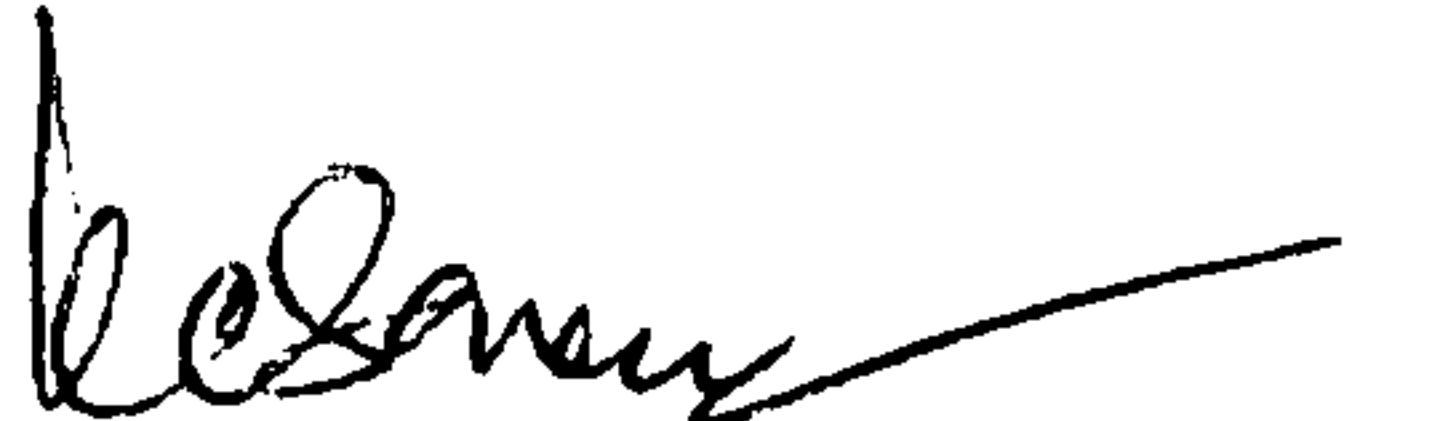
- 1- अध्यक्ष महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- अपर प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन) महोदय के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी /पश्चिमांचल, मेरठ/ दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

.....2/-

60

(2)

- 6- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस आशय से प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध करा दें।
- 7- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 8- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा)/वित्त/उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव-प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- मुख्य अभियन्ता (लेसा), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
- 11- अधीक्षण अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र०पा०का०लि० की वेब साइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
- 11- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट, स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 12- कट फाइल।

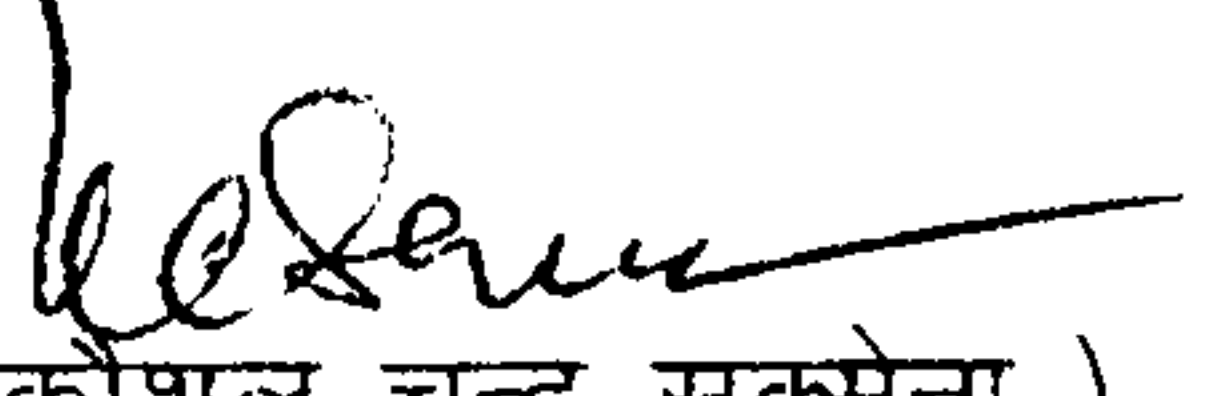

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

10

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नेत्र चिकित्सार्थ अनुमोदित
पैकेज दरें:-

नेत्र का उपचार		पैकेज धनराशि
1- कैंट्रेक्ट विद आई०ओ०एल०	-	रु० 4250 / -
2- फैल्को इमल्सिफिकेशन	-	रु० 8000 / -
3- ग्लाउकोमा सर्जरी	-	रु० 3000 / -
4- स्कविन्ट सर्जरी	-	रु० 2750 / -
5- डी०सी०आर० / डी०सी०टी०	-	रु० 2500 / -
6- लेजर सर्जरी	-	रु० 4500 / -
7- रेटिनल डिटेचमेण्ट	-	रु० 15000 / -
रिपेयर एण्ड विटरिया		
रेटिनल सर्जरीज		

उपरोक्त पैकेज धनराशि में लेंस का मूल्य सम्मिलित नहीं है।


(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी